राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 159/2020

1. अशोक पुत्र नाथूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. नन्दलाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम कांकरिया स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 47 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूलाल पुत्र भीखाराम के स्थान नाथूलाल पुत्र भीखाराम तथा खाता संख्या 119 में में नथमल पुत्र भीखाराम के स्थान पर नाथूलाल पुत्र भीखाराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 47, 119 ग्राम कांकरिया पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम कांकरिया स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 47 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूलाल पुत्र भीखाराम के स्थान नाथूलाल पुत्र भीखाराम तथा खाता संख्या 119 में में नथमल पुत्र भीखाराम के स्थान पर नाथूलाल पुत्र भीखाराम [illegible]या जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो [illegible] निर्णय की पालना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कांकरिया स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 47 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूलाल पुत्र भीखाराम के स्थान नाथूलाल पुत्र भीखाराम तथा खाता संख्या 119 में में नथमल पुत्र भीखाराम के स्थान पर नाथूलाल पुत्र भीखाराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested